न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 2024 / 184 (प्रा0प0)
दायर दिनांक – 03 / 07 / 2024
निर्णय दिनांक –16 / 06 / 2025

अनवान

1. संदीप पाटीदार पिता_विष्णुलाल पाटीदार पाटीदार, निवासी – 307 ए विनायक नगर कॉम्पलेक्स, दैनिक भास्कर आफीस के पास, आयड, उदयपुर।
2. चेतना वैष्णव पत्नी तपन कुमार वैष्णव, जाति वैष्णव, निवासी – ढीकली , तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देलवाडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

विपक्षी

उपस्थित –
प्रार्थी की ओर से – श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता
विपक्षी की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांकः– 16 / 06 / 2025

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 के प्रस्तुत किया कि राजस्व गांव शिशवी की ढाणी, पटवार क्षेत्र शिशवी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करोली , तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में प्रार्थीगण के खातेदारी, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 621 / 74, 622 / 74, 623 / 74, 74 कुल किता–04 कुल रकबा 0.3288 हैक्टेयर भूमियां स्थित है। उपरोक्त कृषि भुमियां वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। राजस्व गांव शिशवी की ढाणी, पटवार क्षेत्र शिशवी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करोली, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद की खाता संख्या नया 01 में अंकित आराजी नम्बर 73 रकबा 0.3667 किस्म बारानी 3 स्थित है जो वर्तमान किस्म बिलानाम होकर राजस्व रेकर्ड में विपक्षी के नाम दर्ज है और उक्त आराजी के सटमा ही प्रार्थीगण की उपरोक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात स्थित है। जिससे उक्त आराजी नम्बर 73 से होकर राजस्व गांव षिषवी की ढाणी, पटवार हल्का षिषवी, भु अभिलेख निरीक्षण करोली के खाता संख्या 01 में अंकित आराजी नम्बर 73 रकबा 0.3667 हैक्टर किस्म बारानी 3 से होकर मुख्य सडक घोडाघाटी से सिंधु जाने वाली रोड पर मिलता है। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजियात का ही अपनी खातेदारी भुमि में आने हेतु उक्त रास्ते का ही उपयोग, उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त रास्ते से ही अपनी कृषि भुमियों में आ जा रहे है। सदिप से प्रार्थी एवं उसके पुर्वाधिकारी अपनी कृषि

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

आराजियात की भुमि पर आ जा रहे है और कृषि कार्य करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भुमि में विपक्षी की आराजी संख्या 73 से आने जाने का रास्ता बिलानाम भुमि से होकर मुख्य रास्ता से मिलता है और उक्त रास्ते से ही प्रार्थीगण अपनी कृषि भुमियों में आते जाते है तथा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अपनी खातेदारी भुमि में जाने हेतु नहीं है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भुमि में जाने हेतु उक्त आराजियात में से होकर ही जाया जाता है तथा इसके सिवाय प्रार्थीगण के पास और कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है इसलिये प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यान्तिक आवष्यकता है जिससे प्रार्थीगण, विपक्षी की आराजी संख्या 73 गांव षिषवी की ढाणी की स्थित आराजी संख्या 73 रकबा 0.3667 किस्म बारानी 3 में से अपनी कृषि भुमि में आवागमन हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम कराना चाहता है। प्रार्थीगण व विपक्षी की आराजी में आने जाने के लिये रास्ते की भुमि का रेवेन्यु रेकर्ड में अकंन किया जाना आवष्यक है। प्रार्थीगण की भुमि पर आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 73 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की उपरोक्त कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात पर जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है ताकि प्रार्थीगण अपनी भुमि पर हकत , बुवाई कर सके और फसल बुवाई ईत्यादि कार्य हेतु ट्रैक्टर ईत्यादि वाहन ला सके जिस हेतु उक्त आराजी में से रास्ते को चौडा कराने का आषय रखता है इसलिये प्रार्थीगण 30 फीट रास्ते की नपती करा रास्ते की भुमि का नियमानुसार मुआवजा न्यायालय द्वारा तय किये जाने पर प्रार्थीगण अदा करने को तत्पर है। प्रार्थीगण खातेदारी की भुमि विपक्षी की आराजी के सटमा है तथा मुख्य रास्ते से मिलती है परन्तु प्रार्थीगण की आराजियात मुख्य रास्ते पर करीबन 7–8 फीट ही चौड़ी है तथा इसके पास ही विपक्षी की बिलानाम भुमि है जिसमें से प्रार्थी अपने आवागमन हेतु रास्ता चौडा कराने का आशय रखते है तथा रास्ते को चौड़ा कराना चाहते है। प्रार्थीगण के भुमि से आगे विपक्षी की भुमि है एवं उसके आगे रेकर्ड में रास्ता दर्ज है जहां से प्रार्थीगण, विपक्षी की आराजी संख्या 73 पर होता हुआ अपनी खातेदारी आराजियात पर आते जाते है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भुमि में आने जाने के लिये उपरोक्त वर्णित आराजियात 73 में से 30 फीट का रास्ता कायम किया जाना आवष्यक है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि को उपयोग , उपभोग कर सके व कृषि कर सके। प्रार्थीगण राजस्थान टिनेन्सी गवर्नमेन्ट (एमेण्डमेन्ट) रुल्स 2012 के चेप्टर 12 के नियम 70 के तहत निर्धारित किये जाने वाली क्षतिपुर्ति की भरपाई करने को भी तैयार एवं तत्पर है। **अतः निवेदन है कि** प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भुमि राजस्व गांव शिशवी की ढाणी, पटवार क्षेत्र शिशवी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करोली, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में स्थित प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों में आवागमन हेतु विपक्षी की राजस्व गांव शिशवी की ढाणी में स्थित आराजी संख्या 73 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता निकाला जाये ताकि प्रार्थीगण इस रास्ते से अपने खेतों में आवागमन कर सके। 30 फीट चौड़े रास्ते का निर्धारण किया जाकर स्थल निरीक्षण करके कुल क्षतिपुर्ति की राषि नियमानुसार तय की जाये जिससे प्रार्थीगण अदा करने हेतु तैयार है

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

तथा मौके पर रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें एवं राजस्व रेकर्ड में अकंन कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया एवं विपक्षी से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार देलवाडा द्वारा अपने पत्रांक 157 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि राजस्व ग्राम शिशवी की ढाणी के आराजी संख्या 74 में जाने हेतु राजस्व रेकार्ड अनुसार रास्ता नही होने से अत्यधिक आवश्यकता है। खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्युनतम दुरी का रास्ता है। खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्युनतम दुरी वाला रास्ता उपलब्ध नही है। प्रस्तवित रास्ते का क्षैत्रफल राजस्व ग्राम शिशवी की ढाणी के आराजी संख्या 73 कुल रकबा 0.3667 हैक्टेयर किस्म बारानी बिलानाम भूमि में से प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 0.0040 हैक्टेयर बनता है। जिसकी डीएलसी 1008000 प्रति हैक्टेयर असिंचित सडक के पास अनुसार मालियत 4032 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी दर अनुसार राशि 8064 रूपये बनती है।

प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु चाहा गया रास्ता आवश्यक होकर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्युनतम दुरी वाला है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांकः प03(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में बिलानाम भूमि में से ही रास्ता दिया जाने का प्रावधान है।

– : आदेश : –

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सपठित राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांकः प03(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के प्रदत्त प्रावधानों के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व गांव शिशवी की ढाणी, पटवार क्षैत्र शिशवी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करोली, तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द में प्रार्थी के खातेदारी, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 74 रकबा 0.0822 हैक्टेयर में आने–जाने, ट्रेक्टर, ट्रोली, बैल, बैलगाडी लाने ले जाने हेतु तहसीलदार देलवाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार ग्राम शिशवी की ढाणी स्थित विपक्षी की आराजी संख्या 73 में से 0.0040 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकार्ड में किस्म रास्ता के रूप में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त रास्ते का

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

उपयोग सार्वजनिक होगा। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज किया जावें। तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट अनुसार रास्ते की भूमि की डीएलसी दर प्रति हैक्टेयर 1008000/– रूपये होकर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.0040 हैक्टेयर भूमि की किमत नियमानुसार दुगुनी किमत 8064/– रूपये बनती है। तदनुसार तहसीलदार नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से उक्त कुलिया राशि 8064/– रूपये वसूल कर नियमानुसार राजकोष में जमा करावें इसी के साथ प्रस्तावित रास्तें की भूमि पर यदि कोई हरे वृक्ष स्थित हो तो तहसीलदार प्रार्थी से उन हरे वृक्षों की नियमानुसार राशि वसूल कर राजकोष में जमा करावें। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सम्पूर्ण राशि राजकोष में जमा होने के उपरान्त ही उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मोहर से सरे ईजलास सुनाया गया।

(रक्षा पारीक)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)